न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 46–एक/91 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर निगरानी प्रकरण कमांक 271/1985–86.

रमेशचंद पिता मांगीलाल
निवासी ग्राम डेहरिया
तहसील झिरन्या जिला खरगौन ....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, खरगौन
2– रूनिया पिता मंगत्या
निवासी हेलापड़ाव
तहसील झिरन्या जिला खरगौन .... अनावेदकगण

....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २३/१/१५ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन द्वारा ग्राम डेहरिया तहसील झिरन्या स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 122 एवं सर्वे कमांक 12 रकबा 17.49 एकड़ के संबंध में आवेदक रमेशचंद के विरूद्ध संहिता की धारा 170–ख के अधीन प्रकरण कमांक 149/अ–23/83–84 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 13–3–84 का आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि अनावेदिका कमांक 2 को अंतरित किये जाने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की

गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक को उसके कब्जे से बेदखल न करने के आदेश दिये गये और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर दिनांक 28–11–85 को याचिका खारिज की जाकर आवेदक को संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपील/निगरानी की कार्यवाही यदि वह अन्यथा समयबाधित हो गई हो, निर्णय के दिनांक से एक माह के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये । तदोपरांत आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, खरगोन के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 6–1–86 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–1–86 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानकर अस्वीकार की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–1990 को आदेश पारित कर निगरानी खारिज की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और आदेश की जानकारी 2–1–86 को होने का कारण दर्शाया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 28–11–85 का है और आवेदक द्वारा 6–1–86 को अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि अत्यधिक विलम्ब नहीं है, फिर भी विलम्ब क्षमा नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1978 की डिक्री को आधार बनाया गया है, जो कि उचित नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपील समय–सीमा में मान्यकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–3–84 के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील दिनांक 2–1–86 को लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–3–84 को उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है और उपस्थिति स्वरूप आवेदक के हस्ताक्षर भी हैं । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–85 को आदेश पारित कर एक माह में अपील प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु आवेदक द्वारा एक माह के भीतर अपील दायर नहीं की गई है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा भी इसी आशय का निष्कर्ष निकाला जाकर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–1990 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर